अध्याय V

माल का गलत वर्गीकरण

यह अध्याय उन मामलों का वर्णन करता है जहां निर्धारण अधिकारी उन विभिन्न माल के आयात को अनुमत करता है जहां उनका गलत वर्गीकरण हुआ था। रिकार्ड के परीक्षण जांच (मार्च 2014 से मार्च 2016 तक) के दौरान लेखापरीक्षा ने आयातित माल के गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 6.12 करोड़ के सीमाशुल्क की कम उगाही /गैर उगाही के 21 मामले देखे गए। इनमें से सात मामलों पर निम्न पैराग्राफ में चर्चा की गई है और 14 मामले जो कि विभाग द्वारा स्वीकृत किए गए है और वूसली की गई है वसूली प्रक्रिया प्रारंभ की गई है **अनुबंध 7** में उल्लेखित हैं।

5.1 मध्यम चेन ट्राइग्लीसराइड (एमसीटी) पामेस्टर 3595 आयात के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की कम वूसली

पामेस्टर 3595/पामेस्टर 3585 को एमसीटी आयल भी कहा जाता है, कैप्राइलिक/कैप्रिक ट्राईग्लीसराइड सहित मध्यम चेन ट्राइग्लीसराइड से बना है जो कि पाम ऑयल और पाम कर्नल ऑयल से निर्मित रिएस्टरीफाइड फैटी एसिड ट्राइग्लीसराइड होते हैं। नामपद्धति की सुसंगत प्रणाली (एचएसएन) व्याख्यात्मक नोट के अनुसार, वानस्पतिक वसा एवं तेल एवं उनके भाग पूर्ण या आंशिक रूप से पुन: एस्टरीफाइड यदि रिफाइन्ड या नहीं किन्तु आगे बनाए नहीं गए को सीटीएच 151620 के तहत वर्गीकृत करने योग्य है और 80 प्रतिशत (अधिसूचना सं. 12/2012-सी.शु. दिनांक 12 मार्च 2012 क्रम सं. 68) की दर पर बीसीडी पर करारोप्य हैं।

मैसर्स के पी मनीष ग्लोबल इन्ग्रेडियन्स प्राइवेट लिमिटेड ने चैन्नै (समुद्र) सीमाशुल्क द्वारा "पामेस्टर 3595 एक्राइलिंक कैप्रिक ट्राइग्लीसराइड" के छ: संप्रेषणों का आयात किया (नवम्बर 2015 से मार्च 2016 तक)। माल को प्राकृतिक उत्पादों के उन मिश्रण सहित अन्य रसायनिक उत्पादों एवं रसायन अथवा सम्बन्धित उद्योगों की प्रिपेरेशन के तौरपर सीटीएच 38249090 के तहत गलत ढंग से वर्गीकृत किया गया था और अधिसूचना क्रम सं. 46/2011 सी.शु. दिनांक 1 जून 2011 के तहत बीसीडी से छूट दी गई थी।

लेखापीक्षा ने देखा कि उत्पादों को पूर्व कथित एचएसएन व्याख्यात्मक टिप्पण एवं रूलिंग संख्या एन 252004 यूएस सीमाशुल्क रूलिंग ऑनलाइन खोज प्रणाली (सीआरओएसएस) द्वारा समर्थित निर्णय के अनुसार सीटीएच 15162099 के तहत सही ढंग से वर्गीकरण के योग्य है एवं तदनुसार 80 प्रतिशत पर बीसीडी पर करारोप्य हैं। इस प्रकार गलत वर्गीकरण एवं अधिसूचना लाभ के गलत विस्तारण के परिणास्वरूप ₹ 1.94 करोड़ के शुल्क की कम उगाही हुई थी।

यह अप्रैल 2016 में विभाग को इंगित किया गया था, उनका उत्तर अपेक्षित है (सितम्बर 2017)।

5.2 मिर्च के बीजों के आयात के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की कम उगाही

जिनस कैप्सीकम के मिर्च के बीज सीटीएच 09042212 के तहत वर्गीकृत योग्य हैं और 70 प्रतिशत की दर पर बीसीडी लगाया जाता है।

मैसर्स रॉयल सीड्स कारपोरेशन और छः अन्य ने एनसीएच, नई दिल्ली के माध्यम से जीनस कैप्सिकम के मिर्च बीजो की 21 खेपों का आयात किया (जुलाई से नवम्बर 2016)। इन वस्तुओं को सीटीएच 12099190 के अन्तर्गत –अन्य वनस्पति बीज के रूप में वर्गीकृत किया गया था तथा पॉच प्रतिशत की दर से बीसीडी का निर्धारण किया गया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि जीनस कैप्सिकम के बीज मिर्च बीज हैं और इनका वर्गीकरण सीटीएच 09042212 के अन्तर्गत जीनस कैप्सिकम के मिर्च बीज के रूप में किया जाना चाहिए और वसूले गए पॉच प्रतिशत की दर की बजाए 70 प्रतिशत की दर से बीसीडी वसूली की जानी चाहिए थी। गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 90.76 लाख के शुल्क की कम वसूली हुई।

यह मामला उठाए जाने पर (दिसम्बर 2016/मार्च 2017) विभाग ने बताया (मार्च 2017) कि आयातकों को मांग के साथ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितम्बर 2017)।

5.3 'मोबाइल कंक्रीट मिक्सर' आयातों के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की कम वसूली

सीटीएच 8705 में ऐसे मोटर वाहन शामिल होते है जिसमें ऐसे कई डिवाइसेज लगे होते हैं जो इन्हें कुछ गैर–परिवहनीय कार्यों को निष्पादित करने में सक्षम बनाते हैं। सीटीएच 8474 के अन्तर्गत दी गई नामपद्धति की संतुलित प्रणाली (एचएसएन) नोट्स के अनुसार जब कंक्रीट मिक्सर स्थायी रूप से किसी रेल वैगन के ऊपर लगाया जाता है अथवा लॉरी चेसिस पर लगाया जाता है तो इसे सीटीएच 8474 से छूटप्राप्त है और तब इसे क्रमश: सीटीएच 8604 अथवा 8705 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इसके अलावा, सीटीएच 8705 के एचएसएन नोट्स के क्रम सं. 10 में स्पष्ट उल्लेख है कि एक कैब और मोटर वाहन चेसिस वाले कंक्रीट मिक्सर लॉरी जिस पर स्थायी रूप से कंक्रीट मिक्सर लगा हो और जो इसे कंक्रीट बनाने और इसके परिवहन हेतु सक्षम बनाता है सीटीएच 8705 के अन्तर्गत आता है। तदनुसार, मिक्सर लॉरी को सीटीएच 87054000 के अन्तर्गत तथा सीटीएच 8701 से 8705 के मोटर वाहनों के कल पुर्जे एवं उपकरणों को सीटीएच 8708 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है और इस पर 10 प्रतिशत की दर से बीसीडी लगाया जाना चाहिए।

मैसर्स अजक्स फियोरी इंजीनियरिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने चेन्नई (पत्तन) सीमा शुल्क के माध्यम से 'स्टीयरिंग एक्सल, गियर बॉक्स वाले स्टीयरिंग एक्सेल, गियर बॉक्स वाले दाना एक्सेल, निगेटिव के लिए वाल्व, हैंड ब्रेक आदि जैसे मोबाइल कंक्रीट मिक्सर के पुर्जों का आयात किया (सितम्बर 2014 और जनवरी 2015 के बीच)। वस्तुओं को क्लचेज और सॉफ्ट कप्लिंग्स' के रूप में सीटीएच 84836090/84818090 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था और 10 प्रतिशत के लागू दर की बजाए 7.5 प्रतिशत दर के बीसीडी का निर्धारण किया था। गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 51.48 लाख के शुल्क का कम संग्रहण हुआ।

इसे इंगित किए जाने पर (मार्च 2015/अक्टूबर 2016) विभाग ने बताया (फरवरी 2017) कि आयातक ने ₹ 51.48 लाख की कम उगाही की पुष्टि के आदेश के विरूद्ध सेसटैट, चेन्नई में अपील दाखिल किया है। तदनुसार, वसूली कार्यवाही इस अपील के परिणाम आने के बाद ही शुरू की जा सकती थी। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितम्बर 2017)।

5.4 समुद्री खरपतवार एक्सट्रैक्ट आयातों के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की कम वसूली

नामपद्धति की सुमेलित प्रणाली (एचएसएन) के अनुसार, अध्याय शीर्ष 3808 'वनस्पति वृद्धि रेगुलेटर' के अन्तर्गत व्याख्यात्मक नोटस वनस्पति के जीवन चक्र में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किए जाते है ताकि वृद्धि अधिक या कम हो, उपज में वृद्धि हो, गुणवत्ता में सुधार हो या फसल काटना सरल हो आदि और सीटीएच 38089340 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य हैं। अतः पौधा वृद्धि विनियामक के रूप में प्रयुक्त समुद्री खरपतवार (सीवीड) एक्सट्रैक्ट लिक्विड' और 'सिंथेटिक आर्गेनिक केमिकल्स' सीटीएच 38089340 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य है और इस पर 10 प्रतिशत की दर से बीसीडी और 12.5 प्रतिशत की दर से सीवीडी लगाया जाना चाहिए।

मैसर्स मैंग्लुरू केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने जेएनसीएच, न्हावा शेवा, मुम्बई के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका से 'केलपक सीवीड एक्सट्रैक्ट' की तीन खेपों का आयात किया (अक्टूबर से दिसम्बर 2016)। विभाग ने आयातित वस्तुओं का 'पशु एवं वनस्पति उर्वरकों/अन्य उर्वरकों/जैविक रसायनों के रूप में सीटीएच 31010099 के अन्तर्गत गलत वर्गीकरण कर दिया तथा 10 प्रतिशत की बीसीडी और 12.5 प्रतिशत की सीवीडी की बजाए सीवीडी से छूट दी और 7.5 प्रतिशत की दर से बीसीडी वसूला। 'केलपक सीवीड एक्ट्रैक्ट' एक प्राकृतिक सीवीड है जो जड़ विकास को तेज करने तथा पौधों के स्वास्थ्य में सुधार करता है और सभी प्रकार के पौधों के लिए पौधा वृद्धिकर्ता के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए इन्हें सीटीएच 38089340 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए तथा इस पर 10 प्रतिशत की दर से बीसीडी लगाया जाना चाहिए। गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 43.81 लाख के शुल्क की कम वसूली हुई।

इसे इंगित किए जाने पर (अप्रैल 2017) विभाग ने कहा (मई 2017) कि आयातक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितम्बर 2017)।

5.5 रबर बैंड/हेयर रबर बैंड आयातों के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की कम वसूली

रबर बैंड को कठोर रबर की बजाय गंधक रबर की अन्य वस्तुओं के रूप में सीटीएच 40169920 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है और इस पर 12.5 प्रतिशत की दर से सीबीडी लगाया जाता है।

मैसर्स मेरा बाबा इंटरनेशनल और 65 अन्य ने आईसीडी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली के माध्यम से 'रबर बैंड/हेयर रबर बैंड' की 302 खेपों का आयात किया (जनवरी 2016 से जनवरी 2017)। आयातित वस्तुओं को अन्य कॉम्ब हेयर स्लाइड्स और हेयर पिन, कर्लिंग पिन, कर्लिंग ग्रिप्स, हेयर कर्लर्स के रूप में सीटीएच 96159000 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था और 'शून्य' दर पर वसूली के पश्चात मंजूरी दी गई थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आयातित वस्तुओं को रबर बैंड्स घोषित किया गया था और इसलिए रबर बैंड के रूप में यह सीटीएच 40169920 के अन्तर्गत वर्गीकरणयोग्य है तथा इस पर 12.5 प्रतिशत की दर से सीवीडी लगाया जाना चाहिए। गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 32.75 लाख के शुल्क की कम वसूली हुई।

इसे इंगित किए जाने पर (जनवरी/फरवरी/मार्च 2017) विभाग ने बताया (अप्रैल 2017) कि दो आयातकों (मैसर्स अटलांटिक सेल्स और मैसर्स यूनाइटेड सेल्स) ने तीन खेपों के संबंध में ब्याज सहित ₹ 0.18 लाख जमा करा दिया था। शेष खेपों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2017)।

5.6 चाय फिल्टर पेपर के आयात के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की कम वसूली

फिल्टर पेपर और पेपर बोर्ड को सीटीएच 48232000 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है और इस पर 12.5 प्रतिशत की सीवीडी दर से शुल्क लगाया जाता है।

मैसर्स हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड ने आईसीडी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली के माध्यम से' 94 मिमी चौड़े डायनापोर चाय फिल्टर पेपर' की छः खेपों का आयात किया (मई से नवम्बर 2016)। आयातित वस्तुओं को फिल्टर पेपर और पेपर

बोर्ड के रूप में सीटीएच 48054000 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया और छः प्रतिशत दर के सीवीडी का निर्धारण किया गया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अध्याय 48 के नोट 8 के अनुसार सीटीएच 4805 में 3 सेमी से अधिक चौड़ी पेपर और रोल्स निहित हैं। चूंकि आयातित फिल्टर पेपर की चौड़ाई 94 मिमी है, इसलिए इसे सीटीएच 4823000 के अन्तर्गत फिल्टर पेपर और पेपर बोर्ड के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और इस पर वसूले गए छः प्रतिशत की बजाए 12.5 प्रतिशत की दर से सीवीडी लगाया जाना चाहिए। इस प्रकार गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 19.26 लाख के शुल्क की कम वसूली हुई।

इसे इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2016/मार्च 2017), विभाग ने कहा (फरवरी 2017) कि आयातक को मांग नोटिस जारी किया गा है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितम्बर 2017)।

5.7 'क्रोमो पेपर 80 जीएसएम' के आयात के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की कम वसूली

'क्रोमो पेपर 80 जीएसएम' को क्रोमो और आर्ट पेपर कोटेड के रूप में सीटीएच 48119012 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है और इस पर 12.5 प्रतिशत की दर से सीवीडी लगाया जाता है।

सीमाशुल्क आयुक्त जेएनसीएच, महाराष्ट्र ने समान आयात में अक्टूबर 2015 के अपने मूल आदेश में निर्णय दिया कि ''क्रोमो पेपर 80 जएसएम'' का सीटीएच 48119012 के अन्तर्गत वर्गीकरण किया जाएगा तथा इस पर अन्य शुल्कों के अलावा 12.5 प्रतिशत की दर से सीवीडी लगाया जाएगा।

मैसर्स मुद्रिका लेबल्स प्राइवेट लि. और चार अन्य ने जेएनसीएच, न्हावा शेवा, मुम्बई के माध्यम से क्रोमों पेपर जीएसएम 80' की 36 खेपों का आयात किया (फरवरी 2013 से फरवरी 2016)। आयातित वस्तुओं का 'क्रोम पेपर अथवा पेपर बोर्ड'/अन्य पेपेर/ ब्लीच्ड पेपर के रूप में सीटीएच 48101330/48101390/48103200/48101990 के अन्तर्गत गलत वर्गीकरण किया गया तथा 12.5 प्रतिशत के लागू दर की बजाए छः प्रतिशत दर पर सीवीडी लगाकर मंजूरी दी गई।

गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 14.40 लाख की शुल्क राशि का कम उद्ग्रहण हुआ जिसकी वसूली की जानी चाहिए।

विभाग को मार्च/अप्रैल 2017 में मामले से अवगत करा दिया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2017)।

नई दिल्ली
दिनांक: 21 नवम्बर 2017

(शेफाली एस अंदलीब)
प्रधान निदेशक (सीमाशुल्क)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 22 नवम्बर 2017

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक